न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 — प्रथम पक्ष – संदीप बागे ...... ।

बनाम

वाद सं0 92/2022 — द्वितीय पक्ष – सिरील मुण्डा ..... वगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
30/1/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 42/2022 दिनांक 11/07/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) संदीप बागें उम्र 45 वर्ष पिता बुधु मुण्डा ग्राम सिजांग थाना पालकोट, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) सिरील मुण्डा उम्र 40 वर्ष पिता लोया मुण्डा ग्राम सिजांग कठरडांड थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच जमीन मौजा सिंजांग के खाता सं0 01, प्लॉट सं0 2122 रकबा 1.71 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्त्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । (मुहर: अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2023.02.04 13:25:48 +05:30 Location: 192.168.156.240	